



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 1995/वैशाख 1, 1917

No. 176]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 1995/VAISAKHA 1, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1995

आयकर

मा.का.नि. 356 (अ) :—यत्: आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा स्पेत की किंगडम के बीच संलग्न अभिसमय, उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 2 द्वारा यथोपेक्षित अनुसमर्थन दस्तावेजों के अदान-प्रदान कर दिए जाने के बाद 12 जनवरी, 1995 में लागू हो गया है ;

अतः अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगतों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अभिसमय के मनी उपबंधों को भारत संघ में लागू किया जाये।

आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और स्पेत किंगडम के बीच अभिसमय।

भारत गणराज्य की सरकार और स्पेत किंगडम की सरकार आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद 1

व्यक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

अभिसमय के तात्पर्य आने वाले कर

1- यह अभिसमय किसी संविदाकारी राज्य की ओर से आय तथा पूंजी पर लगाए गए करों पर लागू होगा, भले ही उनको उद्ग्रहण करने का तरीका कुछ भी क्यों नहीं हो।

2. सकल आय पर, सकल पूंजी पर, अथवा आय अथवा पूंजी के तत्वों पर लगाये गये सभी करों को आय पर और पूंजी पर करों के रूप में समझा जाएगा, जिनमें चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तर्ण से प्राप्त होने वाले अभिलाषों पर कर, उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल रकम पर लगाये गये कर भी शामिल हैं और इसके साथ ही इसमें पूंजीगत मूल्यांकन पर लगने वाले कर भी शामिल हैं।

3. विशेष रूप से जिन मौजूदा करों पर यह अभिसमय लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :

(क) स्पेन में :

(i) व्यष्टियों पर आय कर (इल इम्प्युस्टो सोब्रे ला रेन्टा डी लास परसोनेस फिसीकास) ;

(ii) निगम कर (इल इम्प्युस्टो सोब्रे सोसाइडाड्स) ;

(iii) पूंजीगत कर (इल इम्प्युस्टो सोब्रे इल पेट्रोमोनियो) ;

(जिन्हें इसके बाद "स्पेनिश कर" कहा जाएगा)

(ख) भारत में :

(i) आय कर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधि-भार भी शामिल है ;

(ii) अतिकर ; और

(iii) धन कर (जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा) ।

4. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो इन अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाये जाते हों। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, अपने-अपने कराधान कानूनों में किये गये किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :

(क) "स्पेन" पद से अभिप्रेत है स्पेन का राज्य क्षेत्र तथा उसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर का वायुमण्डलीय क्षेत्र। इसमें ऐसा कोई अन्य समुद्री क्षेत्र भी शामिल है, जिस पर स्पेनिश कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार स्पेन के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों ;

(ख) "भारत" पद से अभिप्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र तथा इसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर का वायुमण्डलीय क्षेत्र। इसमें ऐसा कोई अन्य समुद्री क्षेत्र भी शामिल है जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय

कानूनों के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों ;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य" पदों से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार स्पेन अथवा भारत अभिप्रेत है ;

(घ) "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार "भारतीय कर" अथवा "स्पेनिश कर" अभिप्रेत है ;

(ङ) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों की कोई अन्य संस्था अथवा कोई अन्य सत्ता शामिल है, जिसे संबंधित राज्य के कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कराधेय इकाई के रूप में माना जाता है ;

(च) "कम्पनी" पद से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत कोई कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माना जाता है ;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

(ज) "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है :

(i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यष्टि ;

(ii) कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी और संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो ;

(झ) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलपथ अथवा वायुपथ द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलपथ अथवा वायुपथ केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;

(ञ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :

(i) स्पेन के मामले में, अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(ii) भारत के मामले में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन के संबंध में, किसी शब्दावली का जो उस में परिभाषित नहीं हुई हो, जब तक विषयगत पाठ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य के करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है।

अनुच्छेद 4

निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर, उस राज्य के कानून के अन्तर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी भी अन्य कसौटी के कारण वहाँ पर कर लगाया जा सकता है। परन्तु इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर उमको उस राज्य में स्थित स्रोतों अथवा पूंजी से प्राप्त आय पर कर लगाया जा सकता हो।

2. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वहाँ उसकी हैसियत निम्नानुसार निर्धारित की जायगी :

(क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जायगा जिसमें उसका स्थायी घर हो। यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी घर हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जायगा जिसके साथ उसके व्यवितगत और आर्थिक सम्बन्ध घनिष्ठतर हों (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता है, अथवा यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी घर नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

(ग) यदि वह आदतन दोनों संविदाकारी राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी संविदाकारी राज्य में आदतन न रह रहा हो तो उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

(घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न को सुलझावेंगे।

3. जहाँ व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों भका निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध-स्थान स्थित है।

अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1. इन अभिसमय के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी संस्थापन से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसके

द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे।

(क) प्रबंध का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय ;

(घ) कोई कारखाना ;

(ङ) कोई कार्यशाला ;

(च) कोई खान, कोई तेल अथवा गैस का कुआँ, कोई खदान अथवा कोई प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

(छ) कोई भण्डागार, जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएँ मुहैया करता हो ;

(ज) कोई फार्म यागान अथवा अन्य स्थान जहाँ कृषि वानिकी, बागान अथवा उससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हैं ;

(झ) कोई परिसर, जिसका प्रयोग विक्रय-स्थल के रूप में किया जाता है ;

(ञ) कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना, जिसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा विदोहन करने के लिए किया जाता हो लेकिन, यदि ऐसा तीन महीने से अधिक अवधि के लिए ही किया जाता हो,

(ट) कोई भवन-स्थल अथवा कोई निर्माण कार्य, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन-परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप, जहाँ ऐसा भवन-स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप (अन्य ऐसे भवन-स्थलों, परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों, यदि कोई हों, के साथ) किसी बारह महीनों की अवधि में छः महीने से अधिक की अवधि के लिए चलता रहता है अथवा जहाँ ऐसी परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप जो मशीनरी अथवा उपकरण की विक्री के लिए प्रासंगिक है, कम से कम छः माह से अनधिक अवधि के लिए जारी रहते हैं और परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप के लिए दैय प्रभार मशीनरी और उपकरण के विक्री मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक है।

वशात कि, इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन तभी माना जाएगा यदि वह उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करने के लिए इस संबंध में सेवाएँ अथवा सुविधाएँ मुहैया करता है अथवा राज्य में खनिज तेलों के खनन के लिए अथवा निष्कर्षण अथवा उत्पादन के लिए

इस्तेमाल में लाई गई अथवा इस्तेमाल में लाई जाने वाली किराये की संयंत्र और मशीनरी मण्डाई करता है, यदि ये कार्यकलाप किसी बारह माह की अवधि में तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए जारी रहते हों।

3. इस अनुच्छेद के पूर्व उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा ;

- (क) किसी उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;
- (ख) केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना ;
- (ग) दूसरे उद्यम द्वारा संसाधन के प्रयोजनार्थ किसी उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना ;
- (घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;
- (ङ) उद्यम के लिए विद्यापन के प्रयोजनार्थ, सूचना प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान, अथवा इसी प्रकार के कार्यकलापों के लिए जो प्रारम्भिक अथवा महायुक्त स्वरूप की हों कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी स्वतंत्र हैसियत के अधिकर्ता से भिन्न जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो, कोई व्यक्ति दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर एक संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा हो, तो उस उद्यम को प्रथमोल्लिखित राज्य में एक स्थायी संस्थापन का स्वामी समझा जाएगा, यदि -

- (क) वह उस राज्य में, उस उद्यम की ओर से संविदा सम्पत्ति करने का प्राधिकार रखता हो और वह आभ्यासिक रूप से उस प्राधिकरण का प्रयोग करना हो, जबतक कि उसके कार्यकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्यवस्तुओं के क्रय तक ही सीमित न हों ;
- (ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार नहीं हो, परन्तु वह प्रथमोल्लिखित राज्य में आमतौर पर माल का अथवा पण्य वस्तुओं का कोई स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना

नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, वगैरें कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। लेकिन जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उस उद्यम और अन्य उद्यमों के लिए किए जाने हों जो उस उद्यम को नियंत्रित करते हों, उस उद्यम द्वारा नियंत्रित की जाती हों अथवा उस उद्यम की हैसियत को, से उसी तरह के सामान्य नियंत्रण के अधीन हों, तो उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जातगा।

6. यदि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति जिसमें कृषि अथवा वानिकी की आय भी शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अन्तर्गत उसका अर्थ है जिसमें संदर्भाधीन सम्पत्ति स्थित है। इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे अचल सम्पत्ति के उपसाधन के रूप में सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिकूल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार। पोत, नौका तथा विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति में अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार का लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करना हो, तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लग सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुआ माना जा सकता है:

(क) स्थायी संस्थापन

(ख) उस दूसरे राज्य में एक-समान अथवा उसी प्रकार के माल अथवा पण्य-वस्तुओं की बिक्री जोकि उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती है; अथवा

(ग) उस दूसरे राज्य में की जाने वाली कारोबार संबंधी वैसी ही अथवा भिन्नता-जुलती अन्य गतिविधियां जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती हैं।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां तक एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण ये लाभ हुए माने जाएंगे, जिनके होने की अपेक्षा रहती, जब वह एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या भिन्नता-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निष्पत्त और शिन्त उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्याज और अन्य ऐसे व्यय भी शामिल होते हैं, भले ही ये उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा ये उस राज्य के उपबंधों के अनुसार तथा करारधान कानूनों की सीमाओं के अधधीन किए गए हों। तथापि स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीस अथवा अन्य ऐसी अदायगियों के रूप में अथवा विशिष्ट सेवाओं के निष्पादन अथवा प्रबंध के लिए कमीशन के रूप में अथवा अन्य प्रभारों अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर व्याज के रूप में यदि कोई रकम अदा की गई हो तो, उनके संबंध में ऐसी कटौती की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन रकमों को

हिमाव में नहीं लिया जाएगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) पेटेंटों, किसी जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीस अथवा अन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में अथवा विशिष्ट सेवाओं के निष्पादन के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के रूप में अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, अन्य मामलों में उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को उधार दिए गए धन पर व्याज के रूप में प्रभारित की गई हों।

4. कोई लाभ केवल इस कारण किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी गई हैं।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

6. जहां लाभों में आय की वे मदें शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में पृथक से विवेचन किया गया है वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

वायु परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर-राष्ट्रीय यातायात में वायुयान के प्रचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

3. "वायुयान के परिचालन" पद से अभिप्रेत है—वायुयान के मालिकों अथवा पट्टेदारों अथवा अवक्रेताओं द्वारा वायुयान से यात्रियों, डाक, पण्य अथवा माल के परिवहन का कारोबार जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, वायुयान का प्रारंभिक पट्टा और ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 9

जहाजरानी

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर-राष्ट्रीय यातायात में जलयानों के संचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा जलयानों के संचालन में लगी हुई किसी अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सी परिचालन से प्राप्त लाभों पर लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए जलयानों के संचालन से प्राप्त लाभों में वे लाभ भी शामिल होंगे जो अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन के संबंध में कन्टेनरों (जिनमें कन्टेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर तथा तत्संबंधी साज-सामान भी शामिल हैं) के इस्तेमाल, रख-रखाव अथवा किराये में प्राप्त होंगे।

अनुच्छेद 10

सहयोगी उद्यम

जहां

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य की प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध-व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों, के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकते हैं और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 11

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य का निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसकी लाभांश अदा करने वाला कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता, लाभांश का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांश की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारी के ऋण-दावे नहीं हैं, और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों में प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांश अदा किए जाते हैं, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, यथास्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा 15 के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी भी प्रकार का कर नहीं लगायेगा जहां तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हों अथवा जहां तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है, वहां उस दूसरे राज्य में कम्पनी के अतिरिक्त लाभों पर अतिरिक्त लाभ संबंधी कर नहीं लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अतिरिक्त लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में, उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद 12

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभागी स्वामी हो, तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांश की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी :

- (क) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले व्याज को उस राज्य में कर में छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया और हितभागी रूप में धारण किया गया हो ;
- (i) कोई सरकार, अन्य संविदाकारी राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण ; अथवा
- (ii) अन्य संविदाकारी राज्य का केन्द्रीय बैंक ;
- (ख) किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले व्याज पर उस राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा तक उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी यदि वह (उपपैराग्राफ (क) में उल्लिखित किसी व्यक्ति से भिन्न) किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप में धारण किया जाता है जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, बशर्ते कि ऋण-दावा उत्पन्न करने वाले सेत-देन को प्रथमो-लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "व्याज" पद में अभिप्रेत है—प्रत्येक प्रकार के ऋण-संबंधी दावों से आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से आय और बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों से सम्बद्ध प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं । विलम्ब से की गई अदायगी के लिए अर्थदण्ड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए व्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि व्याज का हितभागी स्वामी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें व्याज उद्भूत हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करना हो अथवा उस दूसरे राज्य में, वहां स्थित किसी निश्चित स्थान के स्वतंत्र वैवाचितक संबंधों करना हो और जिस ऋण-दावे के बारे में व्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान में प्रभावी रूप में सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में, जैसी भी स्थिति हो, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे ।

6. व्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब व्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो । किन्तु जहां व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य

में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर व्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का व्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का व्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां व्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई व्याज की रकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए वह अदा की गई है उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद 13

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुईं हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता, रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा ।

(i) औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए भुगतानों में संबंधित रायल्टियों के मामले में रायल्टियों की सकल रकम का 10 प्रतिशत ;

(ii) तकनीकी सेवाओं और अन्य रायल्टियों के लिए फीसों के मामले में, तकनीकी सेवाओं अथवा रायल्टियों के लिए फीसों की सकल रकम का 20 प्रतिशत ।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टी" पद में साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी भी कॉपीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, जिनमें मिनेमा-फिल्में या रेडियो अथवा टेलीविजन प्रसारण के उपयोग में आने वाली फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, कोई

पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुण फार्मुला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाभिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिकूल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद में तकनीकी अथवा परामर्शदात्री प्रकृति की सेवाओं के लिए, जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कार्यों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, प्रतिकूल के रूप में, अदायगियां करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को की जाने वाली अदायगियों से भिन्न किसी व्यक्ति को की जाने वाली किसी अदायगियों से और अनुच्छेद 15 (स्वतंत्र-व्यक्तिक सेवाएं) में वर्णित स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के लिए, किसी व्यक्ति को की गई अदायगियों से अभिप्रेत है।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति पर लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से, कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, तथा जिस अधिकार, सम्पत्ति अथवा संविदा के संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती हैं, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप में संबंधित हैं। ऐसे मामले में, जैसी भी स्थिति हो, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे।

6. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब रायल्टियां और फीस अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की दायरता उठाई गई हो और ऐसी रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की गई हो, तब ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष

प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम, उस रकम से ब्रू जाती है, जो इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा की गई होनी, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 14

पूँजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संबंधी सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल-सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाये जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूँजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के संबंध में उसी राज्य में कर लगाया जा सकता है।

5. किसी ऐसी कम्पनी के पूँजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो कि कम्पनी के पूँजीगत स्टॉक की कम से कम 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी बनती हो, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी कम्पनी हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकता है।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

अनुच्छेद 15

स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाएं

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतन्त्र कार्यकलापों से प्राप्त आय पर निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जबकि ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान निर्मित रूप में उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकता है जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियों संगत "कगधेय वर्ष" में, कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक हों, तो उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त हुई हों।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतन्त्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतन्त्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 16

परामुखी स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19, 20, 21 तथा 22 के उपबन्धों के अधीन, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, बशर्ते कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होना है, उस पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संगत "कगधेय वर्ष" के दौरान, ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिये दूसरे

राज्य में रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं है; और

(ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और

(ग) ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा मिश्रित स्थापन के द्वारा कोई पारिश्रमिक वहन नहीं किया जाता है जो नियोजक का दूसरे राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होने हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाये जा रहे जलयान अथवा वायुयान पर किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 17

निवेशकों की फीस

निवेशकों की फीस तथा इसी तरह की अदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मण्डल के सदस्य की हैमियत से प्राप्त की गई हों, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकता है।

अनुच्छेद 18

1. अनुच्छेद 15 और 16 के उपबन्धों के होने हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, मनोरंजनकर्ता के रूप में जैसे कि थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा एक संगीतकार अथवा किसी ऐथलीट के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पादित किए गए इस प्रकार के वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर, उस दूसरे राज्य में कर लग सकता है।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी ऐथलीट द्वारा अपनी इस प्रकार की हैमियत में निष्पादित वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा ऐथलीट को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, तो उस आय पर, अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबन्धों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकता है, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा ऐथलीट के कार्यकलाप निष्पादित किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्धों के होने हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी ऐथलीट द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैमियत से निष्पादित वैयक्तिक कार्यकलापों से अर्जित आय प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर-योग्य

होगी, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलाप प्रथमो-
स्लिखित संविदाकारी राज्य की, जिसमें उसके राजनीतिक
उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, सार्व-
जनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित होते हों।

अनुच्छेद 19

पेन्शन

अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन
रहते हुए किसी विगत के नियोजन के प्रतिफल के रूप में
किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को अथवा की गई पेन्शनों
और अन्य ऐसे ही पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में
कर लगाया जायेगा।

अनुच्छेद 20

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक और पेन्शन

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी
राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण
द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग
अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में
अथवा किए गए, पेन्शन से भिन्न, पारिश्रमिक पर केवल
उसी राज्य में ही कर लगाया जायेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदा-
कारी राज्य में तभी कर लगाया जायेगा यदि सेवाएं उस
दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का
निवासी है, जो :

- (1) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है; अथवा
- (2) मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन से उस राज्य
का निवासी नहीं बना हो।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके
किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधि-
करण द्वारा सृजित कोष द्वारा उसमें से किसी व्यक्ति को
उसके द्वारा उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण
के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अथवा की गई पेन्शन
पर कर केवल उसी राज्य में लगाया जायेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेन्शन पर दूसरे संविदाकारी राज्य
में कर केवल तब लगाया जा सकेगा, यदि व्यक्ति उस अन्य
राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 16, 17 और 19 के उपबंध किसी संविदा-
कारी राज्य, अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग
अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी
कारोबार के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में
प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेन्शन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थी

कोई विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु, जो किसी
संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरंत पहले अन्य
संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो केवल
अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य
में रह रहा है, उसे अपनी जीविका, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण
के प्रयोजनार्थ प्राप्त होने वाली अदायगियों पर दूसरे राज्य
में कर नहीं लगाया जाएगा बशर्ते कि ऐसी अदायगियां
उस राज्य के बाहर के स्रोतों से प्राप्त होती हों।

अनुच्छेद 22

प्रोफेसरों, अध्यापकों तथा शोध-छात्रों द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. कोई प्रोफेसर अथवा अध्यापक जो, किसी अन्य संविदा-
कारी राज्य में सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्व-
विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य संस्था में
शिक्षण अथवा शोध-कार्य करने, अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ
उस अन्य संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरंत पहले
किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था तो
उसे उस दूसरे राज्य में उसके आगमन की तारीख से दो
वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए ऐसे शिक्षण अथवा शोध-
कार्य के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य
में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद ऐसे शोध-कार्य से प्राप्त आय पर लागू
नहीं होगा यदि ऐसा शोध-कार्य सामान्य दृष्टि में नहीं किया
जाता बल्कि मुख्यतः किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी
लाभ के लिए किया जाता है।

अनुच्छेद 23

अन्य आय

1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी
संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की गतों पर,
जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, अतः पर इस अधिनियम के
पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विशेष रूप से विचार नहीं किया गया
हो, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में
यथा-परिभाषित अथवा सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय
पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक
संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी
राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से
कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में
वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं
निष्ठादित करता है, तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति
जिसके सम्बन्ध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी
संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्ध

है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबन्ध जैसी भी स्थिति हो लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्धों के होने हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी, जिन पर इस अधिसमय के पूर्वकृत अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकता है।

अनुच्छेद 24

पूँजी

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूँजी पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के स्वामित्व में हो तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, उस दूसरे राज्य में कर लग सकता है।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार सम्पत्ति के अंग-रूप में चल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूँजी पर अथवा किसी निषिद्ध स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूँजी पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, उस दूसरे राज्य में कर लग सकता है।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परिष्कालित जलयानों अथवा वायुयानों और ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों से संबंधित चल सम्पत्ति को निरूपित करने वाली पूँजी पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसका ऐसे जलयान, वायुयान अथवा सम्पत्ति के परिचालन करने वाला उद्यम निवासी है।

4. किसी कम्पनी के पूँजी स्टॉक के शेयरों वाली पूँजी जिसकी सम्पत्ति में मुख्यतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अन्न सम्पत्ति होनी है, पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकता है।

5. किसी संविदाकारी राज्य का निवासी, किसी कम्पनी के पूँजी स्टॉक के शेयरों वाली पूँजी, जिसकी कम्पनी के पूँजी स्टॉक में कम से कम 10 प्रतिशत भागीदारी है, पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकता है।

6. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूँजी के अन्य सभी तत्वों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

अनुच्छेद 25

दोहरे कराधान का अभाकरण

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रचुरता कानून, संरक्षित संविदाकारी राज्य में आय और

पूँजी के कराधान के मामले में लागू रहेंगे विनाय ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ पर इस अधिसमय में उनके विपरीत कोई उपबन्ध नहीं किया गया हो।

2. भारत के मामले में, निम्न प्रकार से दोहरे कराधान से बचा जाएगा :

(क) जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा पूँजी का स्वामित्व रखता है, जिस पर इस अधिसमय के उपबंधों के अनुसार स्पेन में कर लग सकता है, वहाँ भारत इस प्रकार अनुमति देगा:—

(i) चाहे प्रत्यक्षतः अथवा कटौती के द्वारा, उस निवासी की आय पर स्पेन में अथवा की गई आयकर की रकम के बराबर की रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा; और

(ii) उस निवासी की पूँजी पर, स्पेन में अथवा की गई पूँजीगत कर की रकम के बराबर की रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा।

तथापि, दोनों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती की रकम, आयकर अथवा पूँजीगत कर की रकम कटौती किए जाने से पूर्व यथा संगणित, जैसा भी स्थिति हो, के उस भाग से अधिक नहीं होगी जोकि ऐसी आय अथवा पूँजी के कारण बनता है जिस पर स्पेन में कर लग सकता है।

(ख) जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा पूँजी का स्वामित्व रखता है जिस पर इस अधिसमय के उपबंधों के अनुसार केवल स्पेन में कर लगेगा, वहाँ भारत इस आय अथवा पूँजी को कर-प्राधार में शामिल कर सकता है। परन्तु आयकर अथवा पूँजीकर, जैसा भी मामला हो, के उन भाग के लिए, जो स्पेन में प्राप्त की गयी आय अथवा धारित पूँजी के कारण बनता है आयकर अथवा पूँजीकर से कटौती के रूप में अनुमति देगा।

3. स्पेन के मामले में इसके आन्तरिक कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रकार से दोहरे कराधान से बचा जाएगा :

(क) जहाँ स्पेन का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा पूँजी का स्वामित्व रखता है, जिस पर इस अधिसमय के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लग सकता है, वहाँ स्पेन निम्न प्रकार अनुमति देगा :

(i) उस निवासी की आय पर भारत में अथवा की गई आयकर की रकम के बराबर की रकम पर कर से कटौती है।

(ii) उस निवासी की पूँजी पर भारत में अथवा की गई पूँजीगत कर की रकम के बराबर की रकम पर कर से कटौती है।

(ख) एक कम्पनी जो कि भारत का निवासी है उसके द्वारा किसी ऐसी कम्पनी को, जो कि स्पेन की निवासी है और जो लाभांश अथवा फरोसे वाली कम्पनी की कर-से-

कम 25 प्रतिशत पूंजी रखनी है, अदा किए गए लाभांश के मामले में कटौती करते समय उप पैरा "क" के तहत उपलब्ध कराई गई कटौती के अनिश्चित कम्पनी के द्वारा जिस लाभ से ऐसा लाभांश अदा किया जाता है, के संबंध में भारत में अदा किए गए आयकर को ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते कि स्पेशल कर के आधार की गणना करते समय ऐसे कर को शामिल किया जाता है।

तथापि, दोनों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती की रकम, आयकर अथवा पूंजीगत कर की रकम कटौती दिये जाने से पूर्व यथासंगणित जैसा भी मामला हो, के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो कि ऐसी आय अथवा पूंजी के कारण बनती है जिम पर भारत में कर लगा जा सकता है।

(ग) जहां स्पेशल के किसी निवासी द्वारा इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार आय प्राप्त की जाती है अथवा पूंजी का स्वामित्व रखा जाता है उसे स्पेशल में कर से छूट प्राप्त है, जिम पर भी स्पेशल के निवासी को शेष आय अथवा पूंजी पर कर की राशि की संगणना करते समय छूट प्राप्त आय अथवा पूंजी का हिसाब रखेगा।

4. पैराग्राफ 3 में उल्लिखित कटौती के प्रयोजनार्थ, "भारत, में अदा किया गया आयकर" पद में ऐसी कोई भी रकम शामिल मानी जायेगी जो भारत के कानूनों के अंतर्गत तथा इस अभिसमय के अनुसार किसी भी वर्ष के लिए भारतीय कर के रूप में संदेय हुई होती परन्तु निम्नलिखित के अधीन उस वर्ष के लिए कर से छूट प्राप्त होने अथवा कटौती के किये जाने के कारण संदेय नहीं हुई हो :

- (i) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10(4), 10(15) (iv), 10क, 10ख, 32क, 32-कख, 80जज, 80जजग, तथा 80 झ.जहां तक कि वे इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख को प्रवृत्त थी और जिन्हें तब से संशोधित नहीं किया गया है अथवा इनमें केवल छुट-फूट संशोधन किया गया है ताकि उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव न पड़े ; अथवा
- (ii) कोई अन्य उपबन्ध, जिसे कर योग्य आय की संगणना में कटौती करने अथवा ऐसी आय को कर से छूट देने अथवा कटौती करने के लिए, जिसके लिए संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पर्याप्त रूप से ऐसे ही स्वरूप का मानने के लिए सहमत होते हों, इसके बाद बनाया जाता है, यदि उसे उसके बाद संशोधित नहीं किया गया है अथवा उसमें केवल छुट-फूट रूप से संशोधन किया गया है ताकि उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।

5. पैराग्राफ 4 के उपबंध पहले 10 वर्षों के लिए, जिसके लिए यह अभिसमय प्रभावी है, लागू होंगे परन्तु

संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी यह निश्चित करने के लिए एक दूसरे से परामर्श करेगा कि क्या इस अवधि को बढ़ाया जाए अथवा नहीं।

अनुच्छेद 26

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं का लागू नहीं किया जायेगा, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों को वैसी ही परिस्थितियों में और वैसी ही उपबंधों के अधीन लगाए जाने वाले कराधान एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हों।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन को, उस दूसरे राज्य में, ऐसा कराधान लागू नहीं किया जायेगा जो उस दूसरे राज्य के वैसी ही परिस्थितियों में और उपबंधों के अधीन वैसी ही कार्य में संलग्न उद्यम को लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।

3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम पर जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जायेगी जो उस कराधान में तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है।

4. ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हैं, वहां एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये व्याज, रायशुल्कों तथा अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कर-योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, वैसी ही शर्तों के अधीन कटौती योग्य होंगे जैसे कि यदि उन्हें प्रथमोक्त राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया होता। इसी प्रकार, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दिया गया कोई ऋण, ऐसे उद्यम की कर-योग्य पूंजी का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, समान शर्तों के अधीन कटौती योग्य होगा मानो इस संबंध में प्रथमोक्त राज्य के किसी निवासी से संविदा की हो।

अनुच्छेद 27

पारस्परिक करार कार्याविधि

1. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार का कर लगाया

जाता है अथवा लगया जाएगा जो कि इस अभिसमय के अनुसार नहीं है तो वह, उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवार्थी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 26 के पैराग्राफ 1 के अन्तर्गत आता है तो वह उस संविदाकारी राज्य को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवग्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके फलस्वरूप ऐसा कराधान लगया गया है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्तियां न्यायोचित प्रतीत करें तथा यदि वे अपने-आप किसी सन्तोषजनक हल पर पहुंचने में समर्थ नहीं हों तो ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास किया जायगा। जो भी समझौता हुआ हो उसको संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों की किसी तरह की समय-सीमाओं पर ध्यान न देने हुए कार्यान्वित किया जाएगा।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाई अथवा शंकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिसकी व्यवस्था इस अभिसमय में नहीं की गई है। सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस अभिसमय के अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुधारने के लिए उपयुक्त कार्रवाई, पद्धति तथा तकनीक को विकसित करें।

4. पदोक्त पैराग्राफ में व्यक्त अधिद्वय के लिए किसी समझौते या पहुंचने के प्रयोजनार्थ दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जब समझौते पर पहुंचने के लिए विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसा आदान-प्रदान किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद 28

सूचना का आदान-प्रदान

6. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (जब संगत हो, तब दस्तावेजों की प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित प्रान्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जो इस अभिसमय के अन्तर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अर्थात् कराधान

व्यवस्था अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो ताकि विशेष रूप में ऐसे करों को धोखा-धड़ी अथवा अपवंचन और परिहार्यता को रोका जा सके। सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिम प्रकार उस राज्य के आंतरिक कानून के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। तथापि, यदि सूचना भेजने वाले राज्य में सूचना को मूलतः गुप्त समझा जाता है तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) प्रकट किया जायगा जो उन करों का निर्धारण करने अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से सम्बद्ध हों, जिन पर यह कर लागू होता है, ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे परंतु वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :—

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना को मफनाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की मफनाई करना जिसमें कोई व्यापारिक कारोबार औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो अथवा ऐसी सूचना जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल है।

अनुच्छेद 29

राजनयिक तथा कांसुली अधिकारी

इस अधिसमय की किसी भी बात से राजनयिक एजेंटों अथवा कांसुली अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अन्तर्गत प्राप्त द्वितीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 30

प्रवर्तन

1. इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाएगा तथा अनुसमर्थन के दस्तावेजों का यथार्थ व शीघ्र आदान-प्रदान किया जाएगा।

2. यह अभिसमय अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान होने पर लागू होगा और इसके उपबंधों का निम्नानुसार प्रभाव होगा :—

(क) स्पेन में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय प्रवृत्त होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कराधेय वर्ष के लिए आय अथवा पूंजी पर प्रभाय करों के संबंध में ।

(ख) भारत में :

(i) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय प्रवृत्त होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कराधेय वर्ष में उदभूत होने वाली आय के संबंध में ;

(ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय प्रवृत्त होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कराधेय वर्ष के अन्तिम दिन को धारित पूंजी के संबंध में ।

अनुच्छेद 31

समापन

6. यह अभिसमय अनिश्चित समय तक लागू रहेगा, परन्तु दोनों में से कोई भी एक संविदाकारी राज्य इस अभिसमय के लागू होने से पाँच वर्ष की अवधि के पूरा हो जाने के बाद आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष के जून माह की तीस तारीख को अथवा इसके पहले राजनयिक माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य को अभिसमय के समापन की लिखित तोर पर सूचना दे सकता है। ऐसी स्थिति में, यह अभिसमय निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगी ;

(क) स्पेन में, जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय के समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कराधेय वर्ष के लिए प्रभाय करों के संबंध में —

(ख) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय के समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल माह के पहले दिन अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कराधेय वर्ष में उदभूत होने वाली आय तथा अन्तिम कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू

होता है उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कराधेय वर्ष के अन्तिम दिन को धारित पूंजी के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ तिरानवे के फरवरी माह के आठवें दिन हिन्दी, स्पेनिश तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया । सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । किसी पाठ में भिन्नता होने की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ ही प्रभावो होगा ।

मनमोहन सिंह

जं बियर सो नना मबारियेगा

वित्त मंत्री

विदेश मंत्री

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

स्पेन किंगडम की सरकार की ओर से

प्रोटोकॉल

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवचन को रोकने के लिए स्पेन किंगडम की सरकार और भारत गणराज्य का सरकार के बीच अभिसमय पर हस्ताक्षर करने तथा अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हो गए हैं जोकि इस अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे :—

1. अनुच्छेद 3 (साधारण परिभाषाएं) के पैराग्राफ (1) के खंड (घ) के संबंध में यह सहमति हुई है कि पद 'कर' में ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी त्रुटि अथवा चूक के वारे में देय है जिसके लिए यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो उन करों से संबंधित लगाए गए किसी जुमाने को निरूपित करना है ।

2. अनुच्छेद 5 (स्थायी संस्थापन) के पैराग्राफ 2 के खंड (छ) के संबंध में यह सहमति हुई है कि यह खंड उस भण्डागार का हवाला देता है जहां स्थान दूसरे व्यक्तियों को किराये पर दिया जाता है ।

3. अनुच्छेद 7 (कारोबार से लाभ) के पैराग्राफ 1 के खंड (ख) और (ग) के संबंध में यह सहमति हुई है कि किसी शंका के मामले में कि क्या विक्री किया गया माल अथवा पण्य-वस्तुएं उस प्रकार की हैं जैसी कि वे स्थायी संस्थापन के माध्यम से बेची गई थीं अथवा क्या किए गए अथवा कारोबार संबंधी कारोबार उसी प्रकार के हैं जैसे कि वे स्थायी संस्थापन के माध्यम

से किए जाते हैं, सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति में मामले को हल करने की दृष्टि से एक-दूसरे के माप परामर्श कर सकते हैं।

4. अनुच्छेद 7 (कारोबार से लाभ) के पैराग्राफ 3 के संबंध में यह सहमति हुई है कि किसी संविदाकारी राज्य के उन खर्चों की कटौती की सीमा से संबंधित कराधान कानूनों के उपबंधों में सारवान परिवर्तन के किसी मामले में, जो किसी स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस पैराग्राफ के उपबंधों को संशोधन करने की आवश्यकता पर एक-दूसरे से परामर्श करेंगे।

5. अनुच्छेद 8 (वायु परिवहन) और अनुच्छेद 9 (नौवहन) के संबंध में यह सहमति हुई है कि अन्तर्गन्तीय यातायात में वायुयानों अथवा जलयानों के परिचालन से संबंधित निधियों पर व्याज को ऐसे वायुयानों अथवा जलयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा, जैसी भी स्थिति हो, और अनुच्छेद 12 (व्याज) के उपबंध ऐसे व्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

6. अनुच्छेद 11 (लाभांश) का पैराग्राफ 2, स्पेन के मामले में, आरोप्य-आय के लिए चाहे निगमों के शेयरधारकों का वितरित की गई है अथवा नहीं और 8 सितम्बर 1978 के कानून 44/1978 के अनुच्छेद 12.2 और 27 दिसम्बर 1978 के कानून 61/1978 के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित सत्ताओं पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि उक्त आय स्पेन के निगम कर के अध्वधीन नहीं है। ऐसी पर स्पेन में इसके आन्तरिक कानून के अनुसार कर लगेगा।

7. सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद 13 (रायल्टिया और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस) के उपबंधों की समीक्षा करने की समुचित प्रक्रिया इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के बाद आरम्भ करेंगे। तथापि, यदि, भारत और किसी ऐसे तीसरे राज्य के बीच, जो ओ.ई.सी.डी. का कोई सदस्य है, किसी अभिसमय अथवा करार के अंतर्गत जो 1-1-1990 के बाद लागू होता है, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों पर भारत स्रोत पर अपने कराधान को अपेक्षाकृत न्यूनतर दर तक अथवा उस दर का सीमित कार्यक्षेत्र अथवा आय की उक्त मदों पर इस अभिसमय में प्रदान किए गए कार्यक्षेत्र तक सीमित करता है, आय की उक्त मदों पर उस अभिसमय अथवा करार में की गई व्यवस्था के अनुसार वही दर अथवा कार्यक्षेत्र उस तारीख से इस अभिसमय के अंतर्गत भी लागू होगी जिसको वर्तमान अभिसमय अथवा संगत भारतीय अभिसमय अथवा करार प्रवृत्त होता है, जो भी बाद में लागू हो।

8. अनुच्छेद 26 (सम-व्यवहार) के पैराग्राफ 2 के संबंध में, यह सहमति हुई है कि इस पैराग्राफ के उपबंध

का यह अर्थ एक संविदाकारी राज्य को किसी स्थायी संस्थापन के उन लाभों पर कर लगाने से रोक नहीं लगाई जाएगी जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को प्रथमोल्लिखित राज्य में उम कर की दर पर प्राप्त है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उमी प्रकार के उद्यम के लाभों पर लगाए गए कर से अपेक्षाकृत अधिक है, न ही यह इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 (कारोबार से लाभ) के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है। यह भी सहमति हुई है कि किसी भी मामले में एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायी संस्थापन पर कराधान दूसरे संविदाकारी राज्य में, किसी ऐसे उद्यम के किसी तीसरे राज्य में, किसी ऐसे स्थायी संस्थापन पर लगाए गए कराधान की तुलना में कम अनुकूलन नहीं होगा जो अन्य संविदाकारी राज्य द्वारा उस तीसरे राज्य के साथ निष्पन्न किए गए दोहरे कराधान अभिसमय के सहत समान कार्यकलाप कर रहा हो।

9. अनुच्छेद 26 (सम-व्यवहार) के पैराग्राफ 4 के उपबंधों के होते हुए भी, यह सहमति हुई है कि भारत के मामले में, भारत के किसी उद्यम द्वारा व्याज, रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों के रूप में स्पेन के किसी निवासी को की गई अदायगियों को ऐसे उद्यम के कर्णधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कटौती के रूप में तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि भारतीय कानून के अंतर्गत और इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार ऐसी अदायगियों स्रोत पर कर की अदायगी कर दी गई है अथवा कटौती कर दी गई है।

10. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ यह सहमति हुई है कि भारत के मामले में "कर्णधेय वर्ष" पद का अर्थ "पूर्ववर्ती वर्ष" होगा जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 में परिभाषित किया गया है।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रस्तावक पर हस्ताक्षर किए हैं।

तब दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ तिरानवे के फरवरी माह के आठवें दिन हिन्दी, स्पेनिश तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। किसी पाठ में भिन्नता होने की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा।

मनमोहन सिंह
वित्त मंत्री

जेवियर सोलना मडारियेस
विदेश मंत्री

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

स्पेन किंगडम की
सरकार की ओर से)

[अधिष्ठापना सं. 9753 फा. सं. 503/2/86-एफ.टी.डी.]

बी.बी. थ्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 1995

INCOME-TAX

G.S.R. 356(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Kingdom of Spain for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasions with respect to taxation income and on capital has entered into force on 12th January, 1995 after the exchange of instruments of Ratification as required by paragraph 2 of Article 30 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

**CONVENTION
BETWEEN THE
REPUBLIC OF INDIA
AND THE
KINGDOM OF SPAIN
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION
OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND ON CAPITAL**

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Spain desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital have agreed as follows :

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income,

on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular :—

(a) in Spain :

(i) The Income Tax on Individuals (el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas);

(ii) The Corporation Tax (el Impuesto sobre Sociedades);

(iii) The Capital Tax (el Impuesto sobre el Patrimonio);
(hereinafter referred to as "Spanish Tax").

(b) in India :

(i) The income tax including any surcharge thereon;

(ii) The surtax; and

(iii) The wealth-tax (hereinafter referred to as "Indian tax")

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context otherwise requires :—

(a) the term "Spain" means the territory of Spain and includes the territorial sea and airspace above it. It also includes any other maritime zone in which Spain has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Spanish law and in accordance with international law;

(b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it. It also includes any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian Law and in accordance with international law;

- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Spain or India as the context requires;
- (d) the term "tax" means "Indian tax" or "Spanish tax", as the context requires;
- (e) the term "person" includes an individual, a company, any other body of persons or any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting State;
- (f) the term "company" mean any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting State;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "national" means :
- (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State,
- (ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the law in force in a Contracting State;
- (i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (j) the term "competent authority" means :
- (i) in the case of Spain, the Minister of Economic and Finance or his authorized representative.
- (ii) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or its authorised representative.

2. In the application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" any person

who, under the laws of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State, or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance with the following rules :—

- (a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State to which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests).
- (b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode.
- (c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national.
- (d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes specially :—

- (a) a place of management;
- (b) a branch;

- (c) an office; solely for the purpose of storage or display;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;
- (i) a premises used as a sales outlet;
- (j) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources, but only if so used for a period of more than three months;
- (k) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities (together with other such sites, projects or activities, if any) continue for a period of more than six months in any twelve month period, or where such project or supervisory activity, being incidental to the sale of machinery or equipment, continues for a period not exceeding six months and the charges payable for the project or supervisory activity exceed 10 per cent of the sale price of the machinery and equipment;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods and merchandise, or of collecting information for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies— is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State, if:—

- (a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods of merchandise for the enterprise;
- (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

Provided that, for the purpose of this paragraph an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with or supplies plant and machinery on hire used or to be used in, the prospecting for, or extraction or production of mineral oils in the State if the activities continue for a period of more than thirty days in any twelve month period.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:—

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources, Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as

deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses, research and development expenses, interest and other similar expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool a joint business or an international operating agency.

3. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail

livestock or goods carried on by the owners or lessees or characters of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9 SHIPPING

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency engaged in the operation of ships.

3. For the purposes of this Article, profits derived from the operation of ships include profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

Article 10 ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate, directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11 DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charge shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derive profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 12 INTEREST

1. Interest raising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 :

(a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

(i) the Government a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or

(ii) the Central Bank of the other Contracting State ;

(b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State to the extent approved by the Government of that State if it is derived and beneficially owned by any person [other than a person referred to in sub-paragraph (a)] who is a resident of the other Contracting State provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this regard by the Government of the first-mentioned Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services the tax so, charged shall not exceed.

(i) in the case of royalties relating to the payments for the use of, or the right to use, industrial commercial or scientific equipment, 10 per cent of the gross amount of the royalties;

(ii) in the case of fees for technical services and other royalties, 20 per cent of the gross amount of fees for technical service or royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematographic films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind to any person other than payments to an employee of the person making the payments and to any individual for independent personal services mentioned in Article 15 (Independent Personal Services), in consideration for the services of a technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services paid, exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property, referred to in article 6, and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole

enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or of movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists, directly or indirectly, principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company forming part of a participation of at least 10 per cent in accompany which is a resident of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICE

1. Income derived by a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "taxable year"; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a

Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if;

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "taxable year", and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as theatre motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which he activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State

from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first mentioned Contracting State, including any of its political subdivisions or local authorities.

Article 19

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 20

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other State.

3. The provisions of Articles 16, 17 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

Article 21

STUDENTS

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting

State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article

PAYMENT RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other contracting state for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at an officially recognised university, college, school or other institution in that other state on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other state.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the general interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 23

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt within the foregoing Articles of this Convention, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment, or fixed base. In such a case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting state not dealt with in the foregoing Articles of this Convention, and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 24

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting state in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships or aircraft, operated in international traffic or by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise operating such ships, aircraft or property is a resident.

4. Capital represented by shares of the capital stock of a company the property of which consists, directly or indirectly, principally of immovable property situated in Contracting State may be taxed in that State.

5. Capital represented by shares of the capital stock of a company which is a resident of a Contracting State representing a participation of at least 10 per cent in the capital stock of that company may be taxed in that Contracting State.

6. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

Article 25

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income and capital in the respective Contracting States except where express provisions to the contrary are made in this Convention.

2. In India double taxation will be avoided in the following manner :

(a) Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Spain, India shall allow :

(i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount, equal to the income-tax paid in Spain, whether directly or by deduction ; and

(ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Spain.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income-tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Spain.

(b) Where a resident of India derives income or owns capital which in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Spain, India may include his income or capital in the tax base but shall allow as a deduction from the income-tax or capital tax, that part of the income tax or capital tax which is attributable, as the case may be, to the income derived from or the capital owned in Spain.

3. In Spain, subject to the provisions of its internal law, double taxation will be avoided in the following manner :

(a) Where a resident of Spain derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in India, Spain shall allow :

- (i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in India ;
- (ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in India.

(b) In the case of a dividend paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of Spain and which holds at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividend, the deduction shall take into account (in addition to the deduction provided under sub-paragraph (a) the income tax paid in India by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid provided that such tax is taken into account in calculating the base of the Spanish tax.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in India.

(c) Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of Spain is exempt from tax in Spain, Spain may nevertheless in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident take into account the exempted income or capital.

4. For the purposes of deduction referred to in paragraph 3, the term "income-tax paid in India" shall be deemed to include any amount which have been payable as Indian tax under the laws of India and in accordance with this Convention for any

year but for an exemption from, or reduction of, tax granted for that year under :

- (i) Sections 10(4), 10(15) (iv), 10A 10B 32A, 32AB, 30HH 80IHC and 80I of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) so far as they were in force on, and have not been modified since, the date of the signature of this Convention, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or
- (ii) any other provision which may be enacted hereafter granting a deduction in computing the taxable income or an exemption or reduction from tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be of a substantially similar character if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

5. The provisions of paragraph 4 shall apply for the first 10 years for which this Convention is effective but the competent authorities of the Contracting States may consult each other to determine whether this period shall be extended.

Article 26

NON DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions.

3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

4. Except where the provisions of Article 10, paragraph 7 of Article 12, or paragraph 7 of Article 13, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State

to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

Article 27

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident, or, if his case comes under paragraph 1 of Article 26, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention. The competent authorities shall also, by mutual agreement, develop appropriate actions, methods and techniques to improve the exchange of information carried out under Article 28 of this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 28

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including copies of documents when relevant) as is necessary for carrying out the provisions of the Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, in particular for the prevention of fraud or tax evasion and of tax avoidance. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 29

DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect :

(a) in Spain :

in respect of taxes chargeable on income or on capital for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year following that in which the Convention enters into force.

(b) in India :

(i) in respect of income arising in any taxable year beginning on or after the first day of April of the calendar year next following that in which the Convention enters into force.

(ii) in respect of capital which is held on the last day of any taxable year beginning on or after the first day of April of the calendar year next following that in which the Convention enters into force.

Article 31

TERMINATION

1. The Convention shall remain in force indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination. In such event, the Convention shall cease to have effect :

(a) in Spain, in respect of taxes chargeable for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given;

(b) in India, in respect of income arising in any taxable year beginning on or after the first day of April of the calendar year next following that in which the notice of termination is given and in respect of capital which is held on the last day of any taxable year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at new Delhi this 8th day of February, one thousand nine hundred and ninety

three in the Hindi, Spanish and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the
Republic of India

(MANMOHAN SINGH)
Minister of Finance

For the Government of
the Kingdom of Spain

(JAVIER SOLANA MADARIAGA)
Minister of Foreign Affairs

PROTOCOL

At the moment of signing the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Spain for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income and on Capital, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall be an integral part of the Convention.

1. In respect of clause (d) of paragraph 1 of Article 3 (General Definitions) it is understood that the term "tax" shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

2. In respect of clause (a) of paragraph 2 of Article 5 (Permanent Establishment) it is understood that this clause refers to a warehouse where space is rented to other persons.

3. In respect of clauses (b) and (c) of paragraph 1 of Article 7 (Business Profits) it is understood that in the case of any doubt as to whether the goods or merchandise sold are of the similar kind as those sold through the permanent establishment or whether the other business activities carried on are of the similar kind as those effected through the permanent establishment, the competent authorities may consult each other with a view to resolving the case by mutual agreement.

4. In respect of paragraph 3 of Article 7 (Business Profits) it is understood that in case of any substantial changes in the provisions of the taxation laws of a Contracting State relating to limitation on the deductibility of the expenses which are permanent establishment, the competent authorities of the Contracting States shall consult each other on the necessity of modifying the provisions of this paragraph.

5. In respect of Article 8 (Air Transport) and Article 9 (Shipping), it is understood that interest

on funds connected with the operation of aircraft or ships in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft or ships, as the case may be, and the provisions of Article 12 (Interest) shall not apply in relation to such interest.

6. Paragraph 2 of Article 11 (Dividends), shall not be applicable, in the case of Spain, to the income attributable, whether distributed or not, to the shareholders of the corporations and entities referred to in Article 12.2 of Law 44/1978 of 8 September 1978, and Article 19 of Law 61/1978 of 27 December 1978, as long as the said income is not subject to the Spanish Corporation Tax. Such income may be taxed in Spain according to its internal Law.

7. The competent authorities shall initiate the appropriate procedures to review the provisions of Article 13 (Royalties and fees for technical services) after a period of five years from the date of its entry into force. However, if under any Convention or Agreement between India and a third State which is a Member of the OECD, which enters into force after 1-1-1990, India limits its taxation at source on royalties or fees for technical services to a rate lower or a scope more restricted than the rate or scope provided for in this Convention on the said items of income shall also apply under this Convention with effect from the date on which the present Convention comes into force or the relevant Indian Convention or Agreement, whichever enters into force later.

8. In respect of paragraph 2 of Article 26 (Non-discrimination), it is understood that the provision of this paragraph shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of article 7 (Business Profits) of this Convention. It is also understood that in no case the taxation of

a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall be less favourably levied than the taxation levied on a permanent establishment of an enterprise of a third State carrying on the same activities under a double taxation Convention concluded by the other Contracting State with that third State.

9. Notwithstanding the provisions of paragraph 4 of Article 26 (Non-discrimination) it is understood that in the case of India, payments by way of interest, royalties and fees for technical services made by an enterprise of India to a resident of Spain, shall not be allowed as a deduction for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise unless tax has been paid or deducted at source from such payments under Indian law and in accordance with the provisions of this Convention.

10. For the purposes of this Convention it is understood that the term "taxable year" in the case of India shall mean the "previous year" as defined in the Income-tax Act, 1961.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed being duly authorised thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at New Delhi this 8th day of February, one thousand nine hundred and ninety three in the Hindi, Spanish and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the
Republic of India

For the Government of the
Kingdom of Spain

(MANMOHAN SINGH)

Minister of Finance

(JAVIER SOLANA MADARIAGA)

Minister of Foreign Affairs

[Notification No. F. No. 503/2/ 6-FTD]
V. B. SRINIVASAN, Jt. Secy. (FT&TR)